रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273090
CG-DL-E-03062026-273090

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948
No. 371] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISHTHA 12, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.152..—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 2ख के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2ख. प्रचालन लेनदार द्वारा दी जाने वाली जानकारी ।

प्रत्येक प्रचालन लेनदार धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:—

(क) माल और सेवा कर से संबंधित सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख के सुसंगत उद्दरणों की प्रतियां और ई-वे बिल की प्रति, जहां लागू हो:

परन्तु इस विनियम के उपबंध उन प्रचालन लेनदारों पर, जिन्हें रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है और उन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू नहीं होंगे जो माल और सेवा कर से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत नहीं आती हैं ।

(ख) प्रचालन ऋण की बाबत कारपोरेट ऋणी से प्राप्त किसी आंशिक भुगतान का विवरण और ऐसे भुगतान की तारीख;

(ग) प्रचालन ऋण के असाइनमेंट या अंतरण के ब्यौरे, यदि कोई हैं समर्थनकारी दस्तावेजों सहित;

(घ) कारपोरेट ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रचालन ऋण की बाबत दी गई किसी भी गारंटी के ब्यौरे;

(ङ) प्रचालन लेनदार का कारपोरेट ऋणी के साथ खाते की विवरणी, जिसमें मूलधन और उस रकम पर देय ब्याज, यदि कोई है दर्शाया गया हो;

(च) इस संबंध में कथन कि क्या प्रचालन लेनदार कारपोरेट ऋणी का संबद्ध पक्षकार है;

(छ) कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध प्रचालन ऋण की वसूली के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष लंबित किन्ही अन्य कार्यवाहियों के ब्यौरे; और

(ज) कोई अन्य जानकारी जिसे प्रचालन लेनदार आवेदन के लिए सुसंगत समझता है ।"

3. मूल विनियमों में, विनियम 2घ के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"2ङ. कारपोरेट आवेदक द्वारा सूचना प्रस्तुत करना ।

कारपोरेट आवेदक धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

(1) ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों या निगमन के बाद से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, लेखा बही खातों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी:

(क) कारपोरेट ऋणी द्वारा संचालित सभी बैंक खातों की सूची, जिसके अंतर्गत खाता संख्या, बैंकों के नाम, शाखाएं और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी हैं;

(ख) आस्तियों का विवरण, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

(i) स्थावर संपत्तियां - आस्ति अवस्थान सहित नियत आस्तियों का रजिस्टर;

(ii) जंगम संपत्तियां और सूची;

(iii) प्रतिभूतियों, सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश;

(iv) अमूर्त आस्तियां, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार, आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं; और

(v) समर्थनकारी साक्ष्य सहित प्राप्यों की सूची ।

(2) कारपोरेट आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करेगा :

(क) बकाया रकमों सहित प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के ब्यौरे;

(ख) सभी लेनदारों की सूची, उनके संपर्क विवरण, ईमेल पते और दावे की संपूर्ण विशिष्टियों सहित;

(ग) उन सभी चालू मुकदमों, विवादों और माध्यस्थम् कार्यवाहियों की सूची, जिनमें कारपोरेट ऋणी पक्षकार है;

(घ) सभी कर्मचारियों की उनके पदनाम सहित और कर्मकारों की सूची, और उनके बकाया देय;

(ङ) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयुक्त कंपनियों के ब्यौरे;

(च) दी गई या प्राप्त कारपोरेट गारंटियों का विवरण;

(छ) पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहारों का विवरण;

(ज) कारबार प्रचालन के लिए अपेक्षित सभी नियामक अनुमोदनों, लाइसेंसों और रजिस्ट्रीकरणों का विवरण;

(झ) संगठनात्मक ढांचा और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण;

(ञ) कानूनी अनुपालनों का विवरण, जिसके अंतर्गत कारपोरेट कार्य मंत्रालय, आयकर, जीएसटी और अन्य लागू विनियामकों के समक्ष फाइल किए गए दस्तावेज शामिल हैं;

(ट) संयुक्त विकास समझौतों और अन्य समरूप सहयोग या सह-विकास व्यवस्थाओं का विवरण, जिसके अंतर्गत उनके अधीन उद्भूत होने वाले कारपोरेट ऋणी के अधिकार, दायित्व और हित भी हैं;

(ठ) उन आस्तियों के ब्यौरे, जो प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा कुर्की के अधीन हैं, जिसके अंतर्गत कुर्क की गई संपत्तियों, कुर्क करने वाले प्राधिकारी और ऐसी कार्यवाही की स्थिति भी शामिल है;

(ड) आयकर अधिनियम, 1961, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और सदृश राज्य विधानों के अधीन जारी मांग नोटिसों, मूल्यांकन आदेशों या वसूली कार्यवाहियों का विवरण;

(ढ) आवेदन की तारीख तक बकाया किसी भी भविष्य निधि, उपदान, कर्मचारी राज्य बीमा या अन्य कर्मकारों से संबंधित देयों का विवरण;

(ण) कारपोरेट ऋणी या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, कंपनी अधिनियम, 2013, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लंबित सभी

कार्यवाहियां, जिनके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाहियां, जांच, अभियोजन या कुर्की भी हैं, का विवरण, उनकी स्थिति रिपोर्ट सहित;

(त) ऐसे सभी आवंटितियों के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनके नाम, देय रकम और आवंटित इकाइयां भी हैं, जिनके दावे कारपोरेट ऋणी की लेखा बहियों में या भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016(2016 का 16) के अधीन स्थापित भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज हैं; और

(थ) कोई अन्य जानकारी, जो कारपोरेट आवेदक, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए सुसंगत समझता है ।"

4. मूल विनियमों के विनियम 3 में,

(क) उप-विनियम (1क) का लोप किया जाएगा ।

(ख) उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(1क) जहां लेनदारों की समिति, अपनी पहली बैठक में, संहिता की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अंतरिम समाधान व्यावसायिक को समाधान व्यावसायिक के रूप में नियुक्त करने का संकल्प लेती है, वहां अंतरिम समाधान व्यावसायिक ऐसे विनिश्चय की सूचना कारपोरेट ऋणी, बोर्ड और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे संकल्प की तारीख से तीन दिनों के भीतर देगा ।

(1ख) जहां समिति धारा 22 के अधीन अंतरिम समाधान व्यावसायिक को बदलने या धारा 27 के अधीन समाधान व्यावसायिक को बदलने का विनिश्चय करती है, वहां वह प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक की लिखित सम्मति ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए, प्राप्त करेगी ।"।

5. मूल विनियमों के विनियम 3क में,

(क) पार्श्व शीर्ष में, "कारपोरेट ऋणी के कार्मिकों द्वारा सहायता और सहयोग ।" शब्दों और चिह्न के स्थान पर "सहायता और सहयोग प्रदान करने का कर्तव्य ।" शब्द और चिह्न रखे जाएंगे ।

(ख) उप-विनियम (1) में,

(i) "कारपोरेट ऋणी के, यथास्थिति, कार्मिकों, उसके संप्रवर्तकों या कारपोरेट ऋणी के प्रबंधतंत्र से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से," शब्दों और चिह्न के स्थान पर "धारा 19 के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (क) में "विनियम 36 के अधीन" शब्दों के पश्चात् "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उप-विनियम (2) में, "कारपोरेट ऋणी के कार्मिक, उसके संप्रवर्तक या कारपोरेट ऋणी के प्रबंधतंत्र से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से," शब्दों और चिह्न के स्थान पर "धारा 19 के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उप-विनियम (5) और (6) में, "यथास्थिति, कारपोरेट ऋणी के कार्मिकों, उसके संप्रवर्तकों या कारपोरेट ऋणी के प्रबंधतंत्र से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति," शब्दों और चिह्न के स्थान पर "धारा 19 के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

6. मूल विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(3) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, किसी भी लेनदार से, जिसके अंतर्गत वित्तीय संस्थाएं और सांविधिक प्राधिकरण भी हैं, ऐसी जानकारी या अभिलेख की ईप्सा कर सकता है, जो वह उचित समझे, जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और दायित्वों की बाबत जानकारी के सुसंगत उद्दरण भी हैं, जो अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट, स्टॉक विवरणी, प्राप्यों की विवरणी, संपत्तियों की निरीक्षण रिपोर्टें, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, स्टॉक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, हक खोज रिपोर्ट, तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट, बैंक खाता विवरणी और ऐसी कोई अन्य जानकारी जो अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को सूचना ज्ञापन तैयार करने, मूल्यांकन निर्धारित करवाने और कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित करने में सहायता करे, और लेनदार अपेक्षित जानकारी प्रदान करेंगे:

परन्तु प्रत्येक लेनदार समिति की पहली बैठक में, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और दायित्वों से संबंधित अपने कब्जे वाली ऐसी सभी जानकारी और अभिलेख प्रस्तुत करेगा, जो कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन के लिए सुसंगत हो ।"

7. मूल विनियमों में, विनियम 4क के उप-विनियम (3) में, "अनुसूची-I के प्ररूप कख में" शब्दों के स्थान पर " ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

8. मूल विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (2) के खंड (क) में, "अनुसूची-1 के प्ररूप क में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

9. मूल विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में, "अनुसूची-1 के प्ररूप ख में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए " शब्द रखे जाएंगे ।

10. मूल विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) में, "अनुसूची-1 के प्ररूप ग में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।

11. मूल विनियमों के विनियम 8क के उप-विनियम (1) में, " अनुसूची-1 के प्ररूप गक में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

12. मूल विनियमों के विनियम 9 में,

(क) उप-विनियम (1) में, "अनुसूची-1 के प्ररूप घ में" शब्दों और चिह्न के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-विनियम (2) में, "अनुसूची-1 के प्ररूप ङ में" शब्दों और चिह्न के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।

13. मूल विनियमों के विनियम 9क के उप-विनियम (1) में, "अनुसूची-1 के प्ररूप च में" शब्दों और चिह्न के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

14. मूल विनियमों के विनियम 13 में, उप-विनियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, दावों के सत्यापन के बाद, दावे को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करेगा, और दावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के अपने निर्णय की सूचना लेनदार को दावों की ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति के सात दिनों के भीतर कारणों सहित देगा ।"

15. मूल विनियमों के विनियम 16क में,

(क) उप-विनियम (1) में, "प्राप्त प्ररूप गक में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए, प्राप्त" शब्द और चिह्न रखे जाएंगे ।

(ख) उप-विनियम (1) के परंतुक में –

(i) "प्ररूप गक में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्ररूप में" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) "यदि प्ररूप गक" शब्दों के स्थान पर, "यदि वह प्ररूप" शब्द रखे जाएंगे ।

16. मूल विनियमों के विनियम 28 के बाद, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"28क. कब्जे में लिए गए प्रत्याभूतिदाता की आस्तियों का अंतरण ।

(1) धारा 28क के अनुसार, जहां कारपोरेट ऋणी के किसी लेनदार ने कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान, कारपोरेट ऋणी के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता या कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता की किसी आस्ति पर कब्जा कर लिया है, तो समाधान व्यावसायिक ऐसी आस्ति के हस्तांतरण की अनुमति देने का प्रस्ताव, दिवाला समाधान के भाग के रूप में, समिति के समक्ष रख सकता है ।

(2) समिति के समक्ष रखे गए प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल होंगे —

(क) आस्ति का विस्तृत विवरण; और

(ख) आस्ति का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, जैसा कि आस्ति का हस्तांतरण करने वाले लेनदार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा अवधारित किया गया हो या जैसा कि, यथास्थिति, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया या कारपोरेट ऋणी के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया या कारपोरेट ऋणी के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन-अक्षमता प्रक्रिया के दौरान अवधारित किया गया हो; और

(ग) आस्ति के हस्तांतरण के लिए लेनदार की सम्मति;

या

यथास्थिति, दिवाला समाधान प्रक्रिया या शोधन-अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रहे व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता, या, यथास्थिति कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया से गुजर रहे कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता की लेनदारों की समिति की बैठक के अनुमोदन का सबूत जिसमें आस्ति का हस्तांतरण अनुतज्ञात किया गया हो ।

(3) जहां कारपोरेट ऋणी की समिति द्वारा दिवाला समाधान के भागस्वरूप ऐसी आस्ति के हस्तांतरण की अनुज्ञा प्रदान की जाती है, वहां समाधान व्यावसायिक -

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित हस्तांतरण सूचना ज्ञापन में प्रकट किया गया है;

(ख) समाधान योजनाओं के अनुरोध में ऐसे हस्तांतरण की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करेगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि समाधान योजना की शर्तों में धारा 28क की उपधारा (3) में उपबंधित रीति में आगमों के व्यवहार के लिए उपबंध है ।

(4) समाधान योजना पर विचार करते समय, समिति सभी हितधारकों के, जिसके अंतर्गत लेनदार और प्रत्याभूतिदाता हैं, हित को पर्याप्त रूप से संरक्षित करने के लिए प्रत्याभूतिदाता की आस्ति के मूल्य और उपरोक्त उप-विनियमन (3) के खंड (ग) में दिए गए व्यवहार को ध्यान में रखेगी ।

28ख. आस्तियों के हस्तांतरण की सुकरता ।

(1) जहां कारपोरेट ऋणी एक ऐसा कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता है जो कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा है, वहां ऐसे कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता का समाधान व्यावसायिक, जिसने कारपोरेट प्रत्याभूति दी है, ऐसे कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में, जिसे ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, आस्तियों के हस्तांतरण के संबंध में उस कारपोरेट ऋणी के समाधान व्यावसायिक के साथ समन्वय करेगा जिसे ऐसी प्रत्याभूति दी गई है ।

(2) धारा 28क के प्रयोजनों के लिए, समाधान व्यावसायिक उस कारपोरेट ऋणी की समिति से, जिसने ऐसे कारपोरेट ऋणी की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में, जिसे ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, आस्तियों के हस्तांतरण के लिए कारपोरेट प्रत्याभूति दी है, अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(3) जहां कारपोरेट ऋणी की समिति द्वारा कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता के रूप में हस्तांतरण की अनुज्ञा देते हुए अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां ऐसे कारपोरेट ऋणी का समाधान व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित हस्तांतरण को सूचना ज्ञापन में उचित रूप से प्रकट किया जाए ।"

17. मूल विनियमों में, विनियम 30क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

"30क. आवेदन का प्रत्याहरण ।

(1) धारा 12क के अधीन प्रत्याहरण के लिए आवेदन, लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन के तीन दिनों के भीतर, समाधान व्यावसायिक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए, किया जाएगा और इसके साथ विनियम 31 के खंड (कक), (कख), (कग), (खक), (ग), (घ) और (ङ) के प्रयोजनों के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तक, समाधान व्यावसायिक द्वारा यथा-अवधारित अनुमानित व्यय मद्धे बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया जाएगा:

परन्तु ऐसा आवेदन निम्नलिखित स्थितियों में नहीं किया जाएगा:

(क) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन समिति के गठन से पहले; और

(ख) विनियम 36क के अधीन रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण जारी किए जाने के बाद ।

(2) जहां आवेदन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, वहां उप-विनियम (1) के अधीन बैंक गारंटी या डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की तारीख तक, समाधान व्यावसायिक द्वारा यथा-अवधारित, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपगत वास्तविक व्यय मद्धे रकम कारपोरेट ऋणी के बैंक खाते में जमा करेगा, जिसके न हो ऐसा न करने पर संहिता के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप-विनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी लागू की जाएगी या डिमांड ड्राफ्ट भुनाया जाएगा ।

18. मूल विनियमों के विनियम 34ख के उप-विनियम (2), (3) और (4) में, "अनुसूची-II" शब्द और चिह्न के स्थान पर "अनुसूची-I" शब्द और चिह्न रखे जाएंगे ।

19. मूल विनियमों के विनियम 36 के उप-विनियम (2) में, खंड (जक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(जख) धारा 28क के अधीन हस्तांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता या कारपोरेट प्रत्याभूतिदाता की किसी आस्ति के ब्यौरे, जिनमें उसका वर्णन, मूल्य और हस्तांतरण की प्रस्तावित पद्धति शामिल है;"।

20. मूल विनियमों के विनियम 36क में,

(क) उप-विनियम (1) में, "अनुसूची-I के प्ररूप छ में" शब्दों और चिह्न के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उप-विनियम (2) में, “प्ररूप छ” शब्दों के स्थान पर, “उप-विनियम (1) में यथा-उपबंधित प्ररूप” शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उप-विनियम (3) में, “अनुसूची-I में प्ररूप छ” शब्दों और चिह्न के स्थान पर, “उप-विनियम (1) में यथा-उपबंधित प्ररूप” शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।

21. मूल विनियमों के विनियम 39 में,

(क) उप-विनियम (3ख) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(3ग) धारा 31 की उपधारा (1) के परंतुक के प्रयोजनार्थ, समाधान व्यावसायिक उसे ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा, फाइल करेगा ।

(3घ) एकाधिक समाधान योजनाओं के दशा में, एक समाधान योजना में चालू समुत्थान के रूप में समाधान का उपबंध होगा।”

(ख) उप-विनियम (4) में,

(i) “पंद्रह” शब्द के स्थान पर “तीस” शब्द रखा जाएगा ।

(ii) “अनुसूची-I के प्ररूप ज में” शब्दों और चिह्न के स्थान पर “ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे।

22. मूल विनियमों के विनियम 40क में की सारणी में,

(क) “धारा 12(क)/विनियम 30क” से संबंधित पंक्ति का लोप किया जाएगा ।

(ख) “विनियम 36क” से संबंधित पंक्ति में, “क्रियाकलाप का वर्णन” शीर्षक वाले स्तंभ में, “प्ररूप छ प्रकाशित करना” शब्दों के स्थान पर “रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण की संक्षिप्त विशिष्टियों का प्रकाशन” शब्द रखे जाएंगे ।

(ग) “विनियम 39(4)” से संबंधित पंक्ति में, “अद्यतन समय सीमा” शीर्षक वाले स्तंभ में, अक्षर और चिह्न “टी+165” के स्थान पर अक्षर और चिह्न “टी+150” रखे जाएंगे।

23. मूल विनियमों में, विनियम 40घ के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“40ङ. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कारपोरेट ऋणी का विघटन ।

(1) जहां समिति का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) कारपोरेट ऋणी की आस्तियां दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागतों और संभावित समापन लागतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं; या

(ख) कारपोरेट ऋणी के पास उपलब्ध आस्तियां समापन के सामान्य प्रक्रम में प्रभावी रूप से वसूली करने योग्य नहीं हैं;

वहां समिति, मतदान अंश के कम से कम छियासठ प्रतिशत मतों से, कारपोरेट ऋणी के विघटन की ईप्सा करने का संकल्प अपना सकती है ।

(2) समाधान व्यावसायिक, उप-विनियम (1) के अधीन संकल्प पारित होने पर, दस दिनों के भीतर, समिति के निर्णय की सूचना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को एक आवेदन फाइल करके देगा, जिसमें निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) समिति द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति;

(ख) कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत स्थावर, जंगम, वित्तीय और अमूर्त आस्तियां शामिल हैं;

(ग) दावों, परिवर्जनीय संव्यवहारों और आकस्मिक आस्तियों के ब्यौरे, यदि कोई हैं; और

(घ) एक ऐसा कथन, जो यह प्रदर्शित करता हो कि उप- विनियम (1) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा विचार किए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को जारी रखना या समापन प्रारंभ करना हितधारकों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होगा ।"

24. मूल विनियमों में, इस प्रकार अंतःस्थापित विनियम 40ङ के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"40च. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बहाली ।

(1) धारा 33 की उपधारा (1क) के प्रयोजनार्थ, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समापन आदेश पारित करने से पूर्व समिति को कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बहाली के लिए आवेदन फाइल करने का अवसर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - यह स्पष्ट किया जाता है कि समाधान व्यावसायिक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन अपने उत्तरदायित्वों का तब तक निर्वहन करता रहेगा जब तक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा बहाली के लिए आवेदन को विनिश्चित नहीं कर दिया जाता ।

(2) जहां समिति उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन दाखिल करने का विनिश्चय करती है, वहां समाधान व्यावसायिक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की बहाली के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करेगा ।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा :

(क) बहाली का अनुमोदन करने वाले लेनदारों की समिति के संकल्प की प्रमाणित प्रति;

(ख) बहाली की ईप्सा करने के कारणों को उपवर्णित करते हुए एक संक्षिप्त टिप्पण; और

(ग) बहाल की गई कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समयसीमा ।"

25. मूल विनियमों में,

(क) "अनुसूची I" का लोप किया जाएगा ।

(ख) "अनुसूची II" को "अनुसूची I" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./141/2026-27]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 328, तारीख 19 मई, 2026, में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.141, तारीख 20 मई, 2026 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2026.

F. No. IBBI/2026-27/GN/REG152.— In exercise of the powers conferred by section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), for regulation 2B, the following regulation shall be substituted, namely:-

"**2B. Information to be furnished by operational creditor.**

An operational creditor shall furnish the following information along with an application under sub-section (1) of section 9, namely :—

(a) copies of relevant extracts of Form GSTR-1 and Form GSTR-3B filed under the provisions of the relevant laws relating to Goods and Services Tax and the copy of e-way bill wherever applicable:

Provided that provisions of this regulation shall not apply to those operational creditors who do not require registration and to those goods and services which are not covered under any law relating to Goods and Services Tax;

(b) details of any partial payment received from the corporate debtor in respect of the operational debt and the date of such payment;

(c) details of assignment or transfer of the operational debt, if any, along with supporting documents;

(d) details of any guarantee provided by the corporate debtor or any other person in respect of the operational debt;

(e) a statement of account of the operational creditor with the corporate debtor showing the principal amount and interest, if any, due on such amount;

(f) a statement as to whether the operational creditor is a related party of the corporate debtor;

(g) details of any other proceedings pending before any court, tribunal or arbitral tribunal against the corporate debtor for the recovery of the operational debt; and

(h) any other information which the operational creditor considers relevant to the application.".

3. In the principal regulations, after regulation 2D, the following regulation shall be inserted, namely: -

"**2E. Submission of information by the corporate applicant.**

A corporate applicant shall furnish the following information along with an application under sub-section (1) of section 10, namely-

(1) The following information relating to its books of account for the immediately preceding three financial years or since incorporation, whichever is later:

(a) list of all bank accounts operated by the corporate debtor, including account numbers, bank names, branches, and authorized signatories;

(b) particulars of assets including:

(i) immovable properties - fixed assets register along with asset location;

(ii) movable properties and inventory;

(iii) investments in securities, subsidiaries, or joint ventures;

(iv) intangible assets including intellectual property rights, virtual digital assets; and

(v) list of receivables along with supporting evidence.

(2) The corporate applicant shall also furnish the following documents:

(a) details of secured and unsecured creditors with amounts outstanding;

(b) list of all creditors with their contact details, email addresses, and complete claim particulars;

(c) list of all ongoing litigations, disputes, and arbitration proceedings to which the corporate debtor is a party;

(d) list of all employees with their designation and workmen, and their outstanding dues;

(e) particulars of subsidiaries, joint ventures, and associate companies;

(f) details of corporate guarantees given or received;

(g) statement of transactions with related parties for the preceding two financial years;

(h) details of all regulatory approvals, licenses, and registrations required for business operations;

(i) organization structure and details of key managerial personnel;

(j) details of statutory compliances, including filings with the Ministry of Corporate Affairs, income tax, GST, and other applicable regulators;

(k) details of joint development agreements and other similar collaboration or co-development arrangements, including rights, obligations, and interests of the corporate debtor arising thereunder;

(l) details of assets which are under attachment by enforcement agencies, including particulars of the assets attached, the authority which has attached and the status of such proceedings;

(m) details of demand notices, assessment orders or recovery proceedings under the Income-tax Act, 1961, the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Customs Act, 1962, the Central Excise Act, 1944, and analogous State legislations;

(n) details of any provident fund, gratuity, employees' state insurance, or other workmen-related dues outstanding as on the date of the application;

(o) details of all proceedings, including criminal proceedings, investigations, prosecutions, or attachments, pending against the corporate debtor or any of its officers, under the Prevention of Money-laundering Act, 2002, the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, the Foreign Exchange Management Act, 1999, the Companies Act, 2013, or under any other law for the time being in force, along with status reports thereof;

(p) details of all allottees, including their names, amounts due, and units allotted, whose claims are either reflecting in the books of accounts of the corporate debtor or in the records of the Real Estate Regulatory Authority established under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016); and

(q) any other information as the corporate applicant considers relevant for the corporate insolvency resolution process.".

4. In the principal regulations, in regulation 3,

(a) sub-regulation (1A) shall be omitted.

(b) after sub-regulation (1), following sub-regulations shall be inserted, namely: -

"(1A) Where the committee of creditors, in its first meeting, resolves under clause (a) of sub-section (3) of section 22 of the Code to appoint the interim resolution professional as the resolution professional, the interim resolution professional shall intimate such decision to the corporate debtor, the Board and the Adjudicating Authority, within three days of the date of such resolution.

(1B) Where the committee decides to replace the interim resolution professional under section 22 or replace the resolution professional under section 27, it shall obtain the written consent of the proposed resolution professional in such form as notified by the Board through circular.".

5. In the principal regulations, in regulation 3A,

(a) in the marginal heading, for the words and mark, “Assistance and cooperation by the personnel of the corporate debtor.”, the words and mark “Duty to extend assistance and cooperation.” shall be substituted.

(b) in sub-regulation (1),

(i) for the words and mark, “the personnel of the corporate debtor, its promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor as the case may be”, the words “any person as covered under section 19” shall be substituted.

(ii) in clause (a) after the words, “regulation 36”, the words “in such format as notified by the Board” shall be inserted.

(c) in sub-regulation (2), for the words and mark, “The personnel of the corporate debtor, its promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor”, the words “Any person as covered under section 19”, shall be substituted.

(d) in sub-regulations (5) and (6), for the words and mark, “the personnel of the corporate debtor, its promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor as the case maybe”, the words “any person as covered under section 19”, shall be substituted.

6. In the principal regulations, in regulation 4, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(3) The interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, may seek from any creditor including financial institutions and statutory authorities, such information or records as he may deem fit, including the relevant extracts of information in respect of assets and liabilities of the corporate debtor from the last valuation report, stock statement, receivables statement, inspection reports of properties, audit report, stock audit report, title search report, technical officers report, bank account statement and any such other information which shall assist the interim resolution professional or the resolution professional in preparing the information memorandum, getting valuation determined and in conducting the corporate insolvency resolution process and the creditors shall provide the requisite information:

Provided that every creditor shall, at the first meeting of the committee, furnish to the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, all information and records in its possession relating to the assets and liabilities of the corporate debtor, as may be relevant for the conduct of the corporate insolvency resolution process.”.

7. In the principal regulations, in regulation 4A, in sub-regulation (3), for the words and mark “Form AB of the Schedule-I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

8. In the principal regulations, in regulation 6, in sub-regulation (2), in clause (a), for the words and mark “Form A of the Schedule-I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

9. In the principal regulations, in regulation 7, in sub-regulation (1), for the words and mark “Form B of the Schedule-I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

10. In the principal regulations, in regulation 8, in sub-regulation (1), for the words and mark “Form C of the Schedule-I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

11. In the principal regulations, in regulation 8A, in sub-regulation (1), for the words and mark “Form CA of the Schedule-I”, the words and mark “such form as notified by the Board through circular.” shall be substituted.

12. In the principal regulations, in regulation 9,

(a) in sub-regulation (1), for the words and mark “Form D of the Schedule-I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

(b) in sub-regulation (2), for the words and mark “Form E of the Schedule-I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

13. In the principal regulations, in regulation 9A, in sub-regulation (1), for the words and mark “Form F of the Schedule-I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

14. In the principal regulations, in regulation 13, for sub-regulation (1A), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1A) The interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, after verification of claims, either admit or reject the claim, in whole or in part, and shall communicate his decision of admission or rejection of claims to the creditor along with reasons for the same, within seven days of such admission or rejection of claims.”

15. In the principal regulations, in regulation 16A,

(a) in sub-regulation (1), for the words "Form CA received", the words and mark "such form as notified by the Board through circular, received" shall be substituted.

(b) in proviso to sub-regulation (1) –

(i) for the words "class in Form CA", the words "class in such Form", shall be substituted.

(ii) for the words "if the Form CA", the words "if that Form", shall be substituted.

16. In the principal regulations, after regulation 28, the following regulations shall be inserted, namely: -

*"***28A. Transfer of assets of guarantor taken into possession.**

(1) In accordance with section 28A, where a creditor of the corporate debtor has, prior to or during the corporate insolvency resolution process, taken possession of any asset of a personal guarantor or corporate guarantor of the corporate debtor, the resolution professional may place the proposal for permitting transfer of such asset as part of its insolvency resolution, before the committee.

(2) The proposal placed before the committee shall contain—

(a) a detailed description of the asset; and

(b) the estimated realisable value of the asset as determined by the registered valuer appointed by the creditor transferring the asset or as determined during the corporate insolvency resolution process or liquidation process or the insolvency resolution process for personal guarantors to corporate debtor or the bankruptcy process for personal guarantors to corporate debtor, as the case may be; and

(c) consent of the creditor for transfer of the asset;

or

the proof of approval of the meeting of creditors or the committee, of the personal guarantor undergoing insolvency resolution process or bankruptcy process, as the case may be, or the corporate guarantor undergoing corporate insolvency resolution process or liquidation process, as the case may be, permitting the transfer of the asset.

(3) Where approval is granted by the committee of the corporate debtor permitting the transfer of such asset as part of its insolvency resolution, the resolution professional shall -

(a) ensure that the proposed transfer is disclosed in the information memorandum;

(b) specify the particulars of such transfer in the request for resolution plans; and

(c) ensure that the terms of the resolution plan provide for treatment of proceeds in the manner provided in sub-section (3) of section 28A.

(4) While considering a resolution plan, the committee shall take into account the value of the asset of the guarantor and the treatment provided in clause (c) of sub-regulation (3) above, for adequately safeguarding the interest of all stakeholders including creditors and guarantors.

28B. Facilitation of transfer of assets.

(1) Where the corporate debtor is a corporate guarantor undergoing a corporate insolvency resolution process, the resolution professional of such corporate debtor which has given the corporate guarantee shall coordinate with the resolution professional of the corporate debtor to whom such guarantee has been given, regarding transfer of assets in the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor to whom such guarantee has been given.

(2) For the purposes of section 28A, the resolution professional shall obtain approval from the committee of the corporate debtor which has given the corporate guarantee for the transfer of assets in the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor to whom such guarantee has been given.

(3) Where approval is granted by the committee of the corporate debtor as corporate guarantor permitting the transfer, the resolution professional of such corporate debtor shall ensure that the proposed transfer is appropriately disclosed in the information memorandum*."*.

17. *In the principal regulations, for regulation 30A, the following regulation shall be substituted, namely: -*

" **30A. Withdrawal of application**.

(1) An application for withdrawal under section 12A shall be made to the Adjudicating Authority by the resolution professional, within three days of approval by the committee of creditors, in such form as notified by the Board through circular and shall be accompanied by a bank guarantee or a demand draft towards the estimated expenses incurred for the purposes of clauses (aa), (ab), (ac), (ba), (c), (d) and (e) of regulation 31, till the date of filing of the application, as determined by the resolution professional:

Provided that such application shall not be made -

(a) before the constitution of the committee under sub-section (1) of section 21; and

(b) after the issue of invitation for expression of interest under regulation 36A.

(2) Where the application is approved by the Adjudicating Authority, the person furnishing the bank guarantee or a demand draft under sub-regulation (1) shall deposit the amount towards the actual expenses incurred for the purposes referred to in sub-regulation (1), till the date of approval by the Adjudicating Authority, as determined by the resolution professional within three days of such approval, to the bank account of the corporate debtor, failing which the bank guarantee furnished under sub-regulation (1) shall be invoked or demand draft shall be encashed, without prejudice to any other action permissible under the Code. ”.

18. In the principal regulations, in regulation 34B, in sub-regulations (2), (3) and (4), for the word and mark “Schedule-II”, the word and mark “Schedule-I” shall be substituted.

19. In the principal regulations, in regulation 36, in sub-regulation (2), after clause (ja), the following clause shall be inserted, namely: -

“(jb) details of any asset of a personal guarantor or corporate guarantor proposed to be transferred under section 28A, including its description, value and proposed mode of transfer;”.

20. In the principal regulations, in regulation 36A,

(a) in sub-regulation (1), for the words and mark “Form G of the Schedule-I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

(b) in sub-regulation (2), for the words “Form G”, the words and mark “the form as provided in sub-regulation (1)” shall be substituted.

(c) in sub-regulation (3), for the words and mark “Form G in the Schedule-I”, the words and mark “form as provided in sub-regulation (1)” shall be substituted.

21. In the principal regulations, in regulation 39,

(a) after sub-regulation (3B), the following sub-regulations shall be inserted, namely: -

“(3C) For the purpose of proviso to sub-section (1) of section 31, the resolution professional shall file the same in a Form as notified by the Board through circular.

(3D) In case of multiple resolution plans, at least one of the resolution plans shall provide for resolution as a going concern.”.

(b) in sub-regulation (4),

(i) for the word “fifteen”, the word “thirty” shall be substituted.

(ii) for the words and mark “Form H of the Schedule-I”, the words “such form as notified by the Board through circular” shall be substituted.

22. In the principal regulations, in regulation 40A, in the table,

(a) the row pertaining to “Section 12(A)/ Regulation 30A” shall be omitted.

(b) in the row pertaining to “Regulation 36A”, in the column titled “Description of Activity”, for the words “Publish Form G”, the words “Publication of brief particulars of invitation for expression of interest” shall be substituted.

(c) in the row pertaining to “Regulation 39(4)”, in the column titled “Latest Timeline”, for the letter and mark “T+165”, the letter and mark “T+150” shall be substituted.

23. In the principal regulations, after regulation 40D, the following regulation shall be inserted, namely: -

“**40E. Dissolution of corporate debtor during corporate insolvency resolution process.**

(1) Where the committee is satisfied that—

(a) the assets of the corporate debtor are insufficient to meet the insolvency resolution process costs and likely liquidation costs; or

(b) the assets available with the corporate debtor are not capable of being effectively realised in the ordinary course of liquidation;

the committee may, by a vote of not less than sixty-six per cent. of the voting share, resolve to seek dissolution of the corporate debtor.

(2) Upon passing of the resolution under sub-regulation (1), the resolution professional shall, within ten days, intimate the Adjudicating Authority of the decision of the committee by filing an application enclosing—

(a) a copy of the resolution passed by the committee;

(b) details of assets of the corporate debtor, including movable, immovable, financial and intangible assets;

(c) details of claims, avoidance transactions and contingent assets, if any; and

(d) a statement demonstrating that continuation of the corporate insolvency resolution process or commencement of liquidation would not be economically beneficial for the stakeholders, having regard to the factors considered by the committee of creditors under sub-regulation (1)."

24. In the principal regulations, after regulation 40E so inserted, the following shall be inserted, namely: -

*"***40F. Restoration of corporate insolvency resolution process.**

(1) For the purpose of sub-section (1A) of section 33, the committee shall be given an opportunity to file an application for restoration of the corporate insolvency resolution process before the passing of the liquidation order by the Adjudicating Authority.

Clarification: It is clarified that the resolution professional shall continue to discharge his responsibilities under the corporate insolvency resolution process, till the application for restoration is decided by the Adjudicating Authority.

(2) Where the committee decides for filing under sub-regulation (1), the resolution professional shall file an application before the Adjudicating Authority for restoration of the corporate insolvency resolution process.

(3) The application under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

(a) a certified copy of the resolution of the committee of creditors approving restoration;

(b) a brief note setting out the reasons for seeking restoration; and

(c) a proposed timeline for completion of the restored corporate insolvency resolution process.*"*.

25. In the principal regulations,

(a) "SCHEDULE I" shall be omitted.

(b) "SCHEDULE II" shall be numbered as "SCHEDULE I".

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./141/2026-27]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2026 published *vide* notification No. IBBI/2026-27/GN/REG141, dated the 19th May, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 328 on 20th May, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA